



अग्नि शमन विभाग नगर निगम अजमेर



क्रमांक : अग्नि/ 2015/96

दिनांक : 8-9-15

निमित्त :-

मैसर्स रमेश अग्रवाल पुत्र श्री पूनमचन्द अग्रवाल
रघुनाथ भवन सोनीजी नसियां के पास
अजमेर।

विषय :- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है आपकी संस्था मैसर्स रमेश अग्रवाल पुत्र श्री पूनमचन्द अग्रवाल रघुनाथ भवन सोनीजी नसियां के पास अजमेर द्वारा दिनांक 14.8.15 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। अतः आवेदक मैसर्स रमेश अग्रवाल पुत्र श्री पूनमचन्द अग्रवाल रघुनाथ भवन सोनीजी नसियां के पास अजमेर।

उक्त भूखण्ड में जो बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने पर अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण/रीको/अजमेर नगर निगम/ राजस्थान मण्डल द्वारा स्वीकृति मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाई ड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी. मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्पीकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक मैसर्स रमेश अग्रवाल पुत्र श्री पूनमचन्द अग्रवाल रघुनाथ भवन सोनीजी नसियां के पास अजमेर मंजिल योजनानुसार अनुसार ऊँचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गये मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवं के अनुरूप पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कानी का निर्माण निषेध होगा।
6. अस्थाई अग्निशमन अभिशंसा के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण/विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. वर्तमान में प्रस्तावित भूखण्ड के आस-पास कोई निर्माण नहीं है।

8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण विभाग से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इस भवन का उपयोग जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड का मालिक/आवेदक व अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआँ निकाली के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
10. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्त अवधि में आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी। अवधि में कार्य पुरा नहीं होने पर उक्त की अवधि समय पर बढ़वानी होगी।


8/9/15
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम अजमेर